

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक-2, द्वितीय तल, पटना-800015

कार्यालय आदेश संख्या.....222 / 2024
सं0सं0 अ0नि0(02) 01 / 2019 / नि0सं0

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 482(24) दिनांक 20.02.2024 द्वारा प्राप्त उपार्जित अवकाश अदेयता प्रतिवेदन के आलोक में श्री शशि शेखर, अनुमण्डल अभियोजन पदाधिकारी, सम्प्रति सहायक अभियोजक आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 230 के अन्तर्गत स्वयं के दुर्घटनाग्रस्त होने तथा पैर एवं हाथ का ऑपरेशन कराने हेतु दिनांक 13.10.2025 से 05.12.2025 तक कुल 54 (चौवन) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / -
उप सचिव

ज्ञापांक: अ0नि0(02) 01 / 2019 / नि0सं0.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि:- पुलिस उप महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / श्री शशि शेखर, अनुमण्डल अभियोजन पदाधिकारी, सम्प्रति सहायक अभियोजक आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0 / -
उप सचिव।

ज्ञापांक अ0नि0 (02) 01 / 2019 / नि0सं0.....2013

दिनांक.....23/2/20

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव।

Ugrahar